उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ

(उ० प्र० शासन के पत्रांक - 3656/16-10-90/118/88 दिनांक 11-09-90 द्वारा मान्यता प्राप्त)

अमित प्रकाश वर्मा
अध्यक्ष
कार्यालय :
B_2 M/36 Sector B
Jankipuram Lucknow
Mob :- 9935832878

नन्द लाल
महामंत्री
Mob:-9415843372

पत्रांक: संघ-05/2009

दिनांक: 17/02/2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वाथ्य
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः—नवगठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेन्सिंग प्राधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि नवगठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत जारी होने वाले लाईसेंस के सम्बन्ध में कोई भी लाईसेंसिंग प्राधिकारी नियुक्त नही है। इस सम्बन्ध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियम 50(5), जो कि निम्नवत् हैः—

Before granting a licence for manufacture, stock or exhibition of any of the articles of food in respect of which a licence is required, the licencing authority shall inspect the premises and satisfy itself that it is free from sanitary defects. The applicant for the licence shall have to make such alteration in the premises as may be required by the licencing authority for the grant of a licence. Provided that a licencing authority may, for reasons to be recorded in writing refuse to grant a licence, if it is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public health. से विदित है कि प्रत्येक लाईसेन्स के निर्गत करने के पूर्व लाईसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत परिसर का भली भांति निरीक्षण किया जायेगा। इस हेतु लाईसेन्सिंग प्राधिकारी की संतुष्टि अत्यन्त आवश्यक है। इसी क्रम में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियम.–9(b) के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों को लाईसेन्स की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया है।

To satisfy himself that the conditions of the licences are being observed.

उपरोक्त नियमों से स्पष्ट होता है कि लाईसेंसिग प्राधिकारी को प्रश्नगत प्रतिष्ठान का निरीक्षण करना लाईसेन्स जारी करने से पूर्व आवश्यक है एवं लाइसेन्स के सम्बन्ध में निरीक्षण का अधिकार खाद्य निरीक्षक को हैं।

अतः संघ का विनम्र अनुरोध है कि खाद्य निरीक्षक से प्रोन्नत मुख्य खाद्य निरीक्षक को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नवगठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन में लाईसेन्सिंग प्राधिकारी घोषित करने की कृपा करें।

उपरोक्त से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश के असाधारण सरकारी गजट में लाईसेन्सिंग प्राधिकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य खाद्य निरीक्षक को प्रस्तावित करते हुए आपत्तियॉ/सुझावों को आमन्त्रित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।

सादर

भवदीय

(नन्द लाल)
महामन्त्री
खाद्य निरीक्षक, संवर्ग संघ,
उ0प्र0।